फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती हीरा **विपक्षी : श्री तिरथसिंह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 74/21**

जीसीएमएस : 2021/247

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 11.09.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 2, 5 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। विपक्षी संख्या 5 आज भी अनुपस्थित हैं। अतः विपक्षी संख्या 2, 5 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रकरण में बहस सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 908 पर दर्ज आराजी नम्बर 3104, 3105, 3107, 3108, 3111 किता 5 कुल रकबा 1.4974 हेक्टेयर भूमि जगदीश महाराज स्थान देह उदयपुर के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि के सेटलमेन्ट के समय के नम्बर 1911, 1912, 1913, 1914/1, 1914/2, 1415 होकर उक्त भूमि का ताम्रपत्र महाराजाधिराज भीमसिंह जी द्वारा वादीया के पूर्वजो के नाम जारी किया जाकर विगत 80 वर्षों से लगातार काबिज होना बताया। उक्त आराजी में से आराजी नं. 1914/2 के अलावा अन्य भूमि प्रार्थीया के पूर्वजो के नाम दर्ज होने से रह जाना बताया। विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि में दखलन्दाजी करने	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया, विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहती हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 दोनो ही खातेदार नहीं है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के मध्य कब्जे को लेकर विवाद होना प्रतीत होता हैं। उभय पक्षकारान ही खातेदार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू दोनो के ही विरूद्व साबित होते है परन्तु कब्जे सम्बन्धी विवाद की समाप्ति हेतु उभय पक्षकारान को ही मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ताकि प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न न हो। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 908 पर दर्ज आराजी नम्बर 3104, 3105, 3107, 3108, 3111 किता 5 कुल रकबा 1.4974 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाए रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:21 IST
Reason: SelfAttested